भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
दूरसंचार प्रवर्तन , संसाधन एवं निगरानी (टर्म)
प्रकोष्ठ, पूर्वोत्तर –II, ओ सी बी दूरभाष केंद्र भवन के पीछे , दीमापुर -797112

सत्यमेव जयते

सार्वजनिक सूचना
(मोबाइल टॉवरों के संस्थापन से संबंधित धोखेबाजी के बारे में)

दूरसंचार विभाग **की** जानकारी में यह आया है कि कुछ कंपनियां / **एजेंसियां** / व्यक्ति किराए के तौर पर भारी भरकम मासिक भुगतान का विश्वास दिलाकर आम जनता को ठगते हैं और मोबाइल टॉवर संस्थापित करने अथवा किसी **अन्य** प्रयोजन के लिए व्यक्तियों के परिसर को पट्टे / **किराए** पर लेने के बदले में प्रतिभूति जमा / आवेदन **शुल्क** / पंजीकरण प्रभार / स्टाम्प शुल्क / दूरसंचार अधिनियम के अंतर्गत सरकारी कर / अग्रिम भुगतान समाशोधन (क्लीयरेंस) आदि के रूप में उनसे अपने निजी / **कंपनियों** के खाते में राशि जमा कराने के लिए कहते हैं | राशि एकत्र कर लेने के बाद ये कंपनियां / व्यक्ति / **एजेंसिया** पहुंच से बाहर हो जाती हैं | ये कंपनियां कई बार फर्जी कंपनियों अथवा विभिन्न सरकारी संगठनों / **विभागों** के नाम से नकली " अनापत्ति प्रमाण – पत्र " जारी करती हैं |

इसलिए सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता हैं कि :

1. दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय मोबाइल टॉवर संस्थापित करने अथवा इस प्रयोजन के लिए कोई " अनापत्ति प्रमाण – पत्र " जारी करने के लिए परिसर को पट्टे / किराए पर लेने में **प्रत्यक्ष** अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं **हैं** |
2. किसी मोबाइल टॉवर का **संस्थापन** , दूरसंचार सेवा प्रदाता (टी एस पी) अथवा अवसरंचना प्रदाता (आई पी – 1) दोनों में से **किसी** के भी द्वारा अपनी लाइसेंसिंग / पंजीकरण की शर्तो के अनुसार किया जा सकता हैं | टीएसपी और आईपी-1 की अद्यतन सूची दूरसंचार विभाग की वेबसाइट **अर्थात** www.dot.gov.in पर **उपलब्ध** हैं | जनता को सावधान किया जाता हैं कि टॉवर **संस्थापन** के लिए किसी पेशकश पर विचार करने से पहले वे टीएसपी /आईपी-1 की प्रमाणिकता के बारे में दूरसंचार विभाग की वेबसाइट से **सत्यापन** कर ले |
3. **यदि कोई कंपनी / एजेंसी / व्यक्ति टॉवर के वास्तविक संस्थापन से पूर्व किसी भी रूप में अग्रिम अथवा आवेदन शुल्क अथवा किसी राशि के भुगतान के लिए कह रहा है तो जनता को एतदद्वारा और अधिक सावधान होने और कंपनी के प्रत्यायक की जाँच करने का परामर्श दिया जाता है |**
4. कोई भी व्यक्ति अथवा उद्यमी धोखे से (i) मोबाइल टॉवरों के संस्थापन के नाम पर **अग्रिम** भुगतान आदि प्राप्त करने (ii) दूरसंचार विभाग के नाम / चिन्ह (लोगो) / सिफारिशों अथवा **राष्ट्रीय** प्रतीक के प्रयोग करने जैसी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध लागू कानून के तहत अभियोजन चलाया जाएगा | **यदि किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी की ऐसी गतिविधि का पता चलता है तो वह इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को दे | इसके अतिरिक्त अथवा इसके विकल्प के तौर पर स्थानीय टर्म प्रकोष्ठ से भी संपर्क किया जाये जिसका संपर्क संबंधी ब्यौरा दूरसंचार विभाग की वेबसाइट अर्थात www.dot.gov.in पर उपलब्ध हैं** | किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई कोई **कार्यवाही** उसके अपने जोखिम पर होगी और इस सम्बन्ध में दूरसंचार विभाग किसी भी तरीके से **जिम्मेदार** नहीं होगा |